मंथली पॉलिसी रिव्यू

अप्रैल 2024

इस अंक की झलकियां

2023-24 की चौथी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5%

2022-23 की चौथी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 6.2% थी जबकि 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह 5.4% थी। 2023-24 की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति 8.5% थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर बैलेट की वापसी, वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती वाली याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वीवीपैट ट्रेल्स और ईवीएम में दर्ज वोटों के बीच कोई विसंगति साबित नहीं की जा सकती। उसने चुनाव चिह्न लोडिंग यूनिट्स को स्टोर करने और छेड़छाड़ के लिए ईवीएम की जांच करने के निर्देश जारी किए।

रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित

मौद्रिक नीति समिति ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट को क्रमशः 6.25% और 6.75% पर बरकरार रखने का भी निर्णय लिया है।

क्वीर व्यक्तियों के कल्याण संबंधी उपायों पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन

समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें विभिन्न विभागों के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह क्वीर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने का सुझाव देगी।

दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 सामान्य से अधिक रहने का अनुमान

दक्षिण पश्चिम मौसमी मानसून जून से सितंबर के दौरान होता है। इसके दीर्घावधि के औसत का 106% रहने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिम, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है।

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी

इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना है। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में दी जाने वाली सहायता की राशि और ऐसी सहायता प्राप्त करने की पात्रता का विवरण दिया गया है।

ट्राई ने विभिन्न विषयों पर सुझाव जारी किए

ट्राई ने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर सुझाव और दूरसंचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को एनेबल करने के लिए एक रूपरेखा जारी की।

ट्राई ने राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग नीति को बनाने के लिए इनपुट मांगे

उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग, भारत में कंटेंट के निर्माण और गैर-भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण जैसे पहलुओं पर इनपुट मांगे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता 16 मार्च 2024 से 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होने तक लागू है। सरकार इस अवधि के दौरान भारतीय चुनाव आयोग की पूर्वानुमति के बिना प्रमुख नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती।

1 मई, 2024

PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 23234801, 43434035 ▪ www.prsindia.org

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

2023-24 की चौथी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5% रही

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 5% थी, जो 2022-23 की इसी तिमाही के 6.2% से कम है।[1] 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4% थी।

2023-24 की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 8.5% थी, जो 2022-23 की चौथी तिमाही के 5.6% से अधिक है। 2023-24 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति 8.3% थी।

2023-24 की चौथी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति औसतन 0.4% थी, जो 2022-23 की इसी तिमाही के 3.4% से कम है।[2] 2023-24 की तीसरी तिमाही में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 0.3% थी।

रेखाचित्र 1: 2023-24 की चौथी तिमाही में मासिक मुद्रास्फीति (% परिवर्तन, वर्ष-दर-वर्ष)

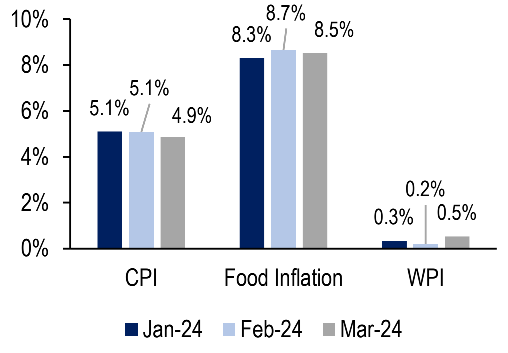

स्रोत: एमओएसपीआई; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; पीआरएस।

रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है।[3] समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी रेट (जिस दर पर आरबीआई कोलेट्रल दिए बिना बैंकों से उधार लेता है) को 6.25% पर बरकरार रखा गया है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) को 6.75% पर बरकरार रखा गया है।

एमपीसी ने समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इससे यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर 4% के लक्ष्य के अनुरूप हो।

कानून एवं न्याय

Rutvik Upadhyaya (rutvik@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर बैलेट की वापसी, वीवीपैट पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ ने मतदान प्रक्रिया में कुछ सुधारों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मांग की थी: (i) मतदान की पेपर बैलेट प्रणाली पर वापसी, या (ii) मतदाताओं द्वारा वीवीपैट पर्चियों का भौतिक सत्यापन, और/या (iii) ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के अलावा वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती।[4] वीवीपीएटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मतदाता को डाले गए वोट को दर्ज करने वाली एक पर्ची दिखाई जाती है, ताकि वह अपने वोट को सत्यापित कर सकता है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के विधानसभा खंड में पांच रैंडम पोलिंग स्टेशंस की वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम वोटों के साथ मिलान किया जाए।[5]

हाल के फैसले में अदालत ने कहा कि अब तक वीवीपैट पर्चियों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किए गए वोटों के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई।[4] उसने कहा कि कि वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती से गिनती में देरी होगी और इसमें शामिल कर्मचारियों को दोगुना करने की आवश्यकता होगी। उसने यह भी कहा गया कि ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग और अवैध वोटों जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है, जो पेपर बैलेट प्रणाली में प्रचलित थे। उसने आगे कहा है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियों तक भौतिक पहुंच मिलने से दुरुपयोग और कदाचार को बढ़ावा मिलेगा।

अदालत ने इस मामले में दो निर्देश जारी किए।[4] पहला, सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वीवीपैट मशीन में लोड होने के बाद, चुनाव चिन्ह लोड करने वाली इकाइयों को सील कर दिया जाना चाहिए और परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ एक कमरे में स्टोर किया जाना चाहिए। यह 1 मई, 2024 के बाद की लोडिंग प्रक्रिया पर लागू होगा। दूसरा, नतीजे घोषित होने के बाद ईवीएम मैन्यूफैक्चरर्स के इंजीनियर्स की एक टीम हरेक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के खंड के 5% ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच करे, ताकि इनके साथ होने वाली छेड़छाड़ का पता लगाया जा सके। ईवीएम पर लोड किया गया प्रोग्राम माइक्रोकंट्रोलर चिप पर बर्न हो जाता है। यह सत्यापन केवल उन उम्मीदवारों के अनुरोध पर किया जा सकता है जिन्हें दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट मिले हैं।

क्वीर व्यक्तियों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए समिति का गठन

कानून एवं न्याय मंत्रालय ने क्वीर व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया।[6] क्वीर एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो विषमलिंगी नहीं हैं या निर्दिष्ट लिंग को स्वीकार नहीं करते। समिति का गठन अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में किया गया है।[7]

अदालत के सामने यह सवाल था कि क्या विशेष विवाह एक्ट, 1954 क्वीर कपल्स के विवाह को मान्यता न देकर समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।[7,8] अदालत ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि सेम-सेक्स शादी को 1954 के एक्ट के तहत नहीं माना जा सकता।[7] अदालत ने कहा कि क्वीर व्यक्तियों के अधिकारों और हकदारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की जाए।

समिति के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होंगे।[6] समिति के सदस्यों में निम्नलिखित के सचिव शामिल हैं: (i) गृह विभाग, (ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग।[6] समिति विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों को एम्पैनल कर सकती है।

समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों की जांच और सिफारिश करेगी कि: (i) क्वीर व्यक्तियों को वस्तुओं, सेवाओं और कल्याण संबंधी हकदारियों को हासिल करने के दौरान भेदभाव का सामना न करना पड़े, (ii) उन्हें हिंसा या धमकियों का सामना न करना पड़े, और (iii) वे अनैच्छिक चिकित्सा उपचार के अधीन नहीं हों।[6]

वित्त

आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी) दिशानिर्देश, 2024 जारी किए हैं।[9] परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसीज़) वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक) से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में लेती हैं और ऐसी परिसंपत्तियों से बकाया वसूलने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। दिशानिर्देश एआरसी के पंजीकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रशासन जैसे मामलों के लिए प्रावधान करते हैं। प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पंजीकरण**: एआरसी को आरबीआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पंजीकृत एआरसी प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, दोनों गतिविधियां कर सकते हैं। प्रतिभूतिकरण एआरसी द्वारा अन्य संस्थाओं से वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण है।[10] एआरसी के पास न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड (एनओएफ) होना चाहिए। 11 अक्टूबर, 2022 तक 100 करोड़ रुपए के एनओएफ वाले मौजूदा एआरसी को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने की अनुमति दी गई है। अगर एआरसी इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 के तहत रेज़ोल्यूशन एप्लिकेंट के तौर पर कार्य करते हैं, तो उनके पास न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए का एनओएफ होना चाहिए। एनओएफ में कुछ वस्तुएं शामिल नहीं होंगी जैसे एआरसी द्वारा

अपनी सहायक कंपनियों या समूह कंपनियों में निवेश।

- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण**: एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी चाहिए। यह नीति पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के 90 दिनों के भीतर तैयार की जानी चाहिए। नीति में निम्नलिखित निर्दिष्ट होना चाहिए: (i) अधिग्रहण के लिए मानदंड और प्रक्रिया, (ii) परिसंपत्ति के प्रकार और वांछनीय प्रोफ़ाइल, और (iii) अर्जित परिसंपत्ति की मूल्यांकन प्रक्रिया। एआरसी परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार कर सकती है जो निम्नलिखित प्रावधान कर सकती है: (i) उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में बदलाव, (ii) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों का पुनर्निर्धारण, या (iii) किसी भी ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।
- **प्रतिभूतिकरण**: वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन एक्ट, 2002, एआरसी को धन जुटाने के लिए सुरक्षा रसीदें (एसआर) जारी करने की अनुमति देता है।[10] इसे वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले में संस्थाओं को भी जारी किया जा सकता है। निर्देशों के अनुसार, एआरसी को अधिग्रहण के छह महीने के भीतर अपने एसआर की रेटिंग करानी होगी। रेटिंग पुनर्प्राप्ति जोखिम पर आधारित होनी चाहिए, यानी अर्जित वित्तीय परिसंपत्ति से कितना पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में बदलने के लिए सर्कुलर जारी किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक संक्रमण देने के लिए एक सर्कुलर जारी किया।[11] लघु वित्त बैंक: (i) बचत की सुविधा प्रदान करते हैं और (ii) लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों और अन्य निम्न-आय समूहों को ऋण प्रदान करते हैं।[12] एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए, लघु वित्त बैंकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) न्यूनतम पांच वर्षों के प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड, (ii) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उनके शेयर, (iii) पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए, और (iv) पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ। लघु वित्त बैंकों के लिए एक चिन्हित प्रमोटर का होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी मौजूदा प्रमोटर को यूनिवर्सल बैंक में संक्रमण पर प्रमोटर के रूप में बने रहना होगा। संक्रमण के दौरान नए प्रमोटरों को जोड़ने या प्रमोटरों में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सल बैंकों में संक्रमण के लिए विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले पात्र लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सेबी ने बोर्ड बैठक में विभिन्न फैसलों को मंज़ूरी दी

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी बोर्ड बैठक में विभिन्न फैसलों को मंज़ूरी दी।[13] इस दौरान प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आईएफएससी-आधारित एफपीआई में निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी**: वर्तमान में किसी एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई), या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) में निवासी भारतीय का योगदान कुल कॉरपस के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।[14] ऐसे निवेशकों का कुल योगदान कॉरपस के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सेबी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) पर आधारित एफपीआई में एनआरआई, ओसीआई और निवासी भारतीयों के योगदान को 100% तक बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा को मंज़ूरी दी। आईएफएससी घरेलू क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। एफपीआई को अपने निवेशकों के पैन कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज (यदि पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है) जमा करने होंगे। इन दस्तावेज़ों की जरूरत नहीं होगी, अगर ऐसे फंड्स में निवेश किया जाता है: (i) जिनमें सभी निवेशों को एक इनवेस्टमेंट वेहिकल में पूल किया गया है, (ii) जो बिना किसी अलग पोर्टफोलियो के एक सामान्य पोर्टफोलियो में फंड कॉरपस रखता है, (iii) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों में कॉरपस का 20% तक निवेश करता है, और (iv) एक स्वतंत्र निवेश प्रबंधक है।

- **परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र**: एएमसी (जैसे म्यूचुअल फंड) को संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान करने और रोकने के लिए संस्थागत तंत्र को अपनाना चाहिए। इस तरह के दुरुपयोग में प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग और धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल हो सकते हैं। फ्रंट-रनिंग अन्य बाजार सहभागियों से पहले प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों में व्यापार करने की पद्धति है। संस्थागत तंत्र में उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और विभिन्न प्रकार के कदाचार की पहचान करने और उनका समाधान करने की प्रक्रिया शामिल होगी। एएमसी को कदाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसिल-ब्लोअर्स के लिए एक तंत्र भी प्रदान करना होगा।

आरबीआई ने डिजिटल ऋण में ऋण एकत्रीकरण में पारदर्शिता के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 'डिजिटल ऋण- एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता' पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए।[15] आरबीआई ने कहा कि कई ऋण सेवा प्रदाता ऋण उत्पादों के लिए एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके तहत एक ऋण प्रदाता के पास कई ऋणदाताओं के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था होती है और डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म उधारकर्ता को ऋणदाताओं से मिलाता है। ऐसे मामलों में संभावित ऋणदाता की पहचान उधारकर्ता को पहले से नहीं हो पाती है। उधारकर्ताओं के पास संभावित उधारदाताओं के बारे में पूर्व जानकारी हो, इसके लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश कुछ उपायों को निर्दिष्ट करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऋण सेवा प्रदाताओं को उधारकर्ता को सभी इच्छुक ऋणदाताओं के ऋण प्रस्तावों का एक डिजिटल व्यू देना होगा, (ii) ऋण सेवा प्रदाता को ऋण देने के लिए ऋणदाताओं की इच्छा निर्धारित करने हेतु एक सतत तंत्र का पालन करना होगा, और (iii) प्रदर्शित कंटेंट निष्पक्ष होना चाहिए और उधारकर्ताओं को गुमराह करने के लिए डार्क पैटर्न के जरिए किसी विशेष उत्पाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

31 मई, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[16]

पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए रेगुलेशंस पर टिप्पणियां आमंत्रित

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के रेगुलेशंस पर ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[17] पेमेंट एग्रीगेटर ऐसे इंटरमीडियरीज़ होते हैं जो व्यापारियों और ग्राहकों के बीच लेनदेन को संभव बनाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स वर्तमान में आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत रेगुलेटेड हैं।[18] दिशानिर्देशों में निम्नलिखित नियम शामिल हैं: (i) गवर्नेंस, (ii) मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग, (iii) ग्राहक शिकायत निवारण, (iv) धोखाधड़ी की रोकथाम, और (v) जोखिम प्रबंधन।[18] ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को इस रेगुलेशन के तहत लाने का प्रयास किया गया है (आमने-सामने लेनदेन की सुविधा)।[19] वे पेमेंट एग्रीगेटर्स के रेगुलेशंस पर मौजूदा दिशानिर्देशों में भी संशोधन का प्रयास करते हैं।[20] प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ऑफलाइन एग्रीगेटर**: ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, जब तक निर्दिष्ट न हो, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वाले रेगुलेटरी ढांचे के अधीन होंगे। ऑफलाइन नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने के लिए 31 मार्च, 2025 तक आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के वक्त ऑफलाइन नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स के पास 15 करोड़ रुपए की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। 31 मार्च 2028 तक उनकी न्यूनतम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
- **ड्यू डेलिजेंस की शर्त**: पेमेंट एग्रीगेटर्स को अपने साथ जुड़े व्यापारियों के लिए कुछ ड्यू डेलिजेंस करना होता है। इसमें बैंक खाते के विवरण का सत्यापन शामिल है। व्यापारियों के आकार के आधार पर आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में पेमेंट एग्रीगेटर्स को व्यापारियों के लेनदेन की निगरानी करने और जोखिम-आधारित भुगतान सीमाएं लागू करने की आवश्यकता है।
- **ऑनबोर्डिंग के लिए एजेंट्स का इस्तेमाल**: ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटरों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे एजेंट्स को

शामिल करें ताकि व्यापारियों को ऑनबोर्डिंग में सहायता दी जा सके। पेमेंट एग्रीगेटर्स को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एजेंट्स को शामिल करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होना, (ii) एजेंट्स के कृत्यों की निगरानी करना और जिम्मेदार होना, और (iii) रिकॉर्ड को संरक्षित करना और ग्राहकों की गोपनीयता बनाए रखना।

- **कार्ड ऑन फाइल (सीओएफ) डेटा का स्टोरेज**: ड्राफ्ट निर्देशों में आमने-सामने लेनदेन के लिए सीओएफ डेटा (जैसे कार्ड नंबर, जारीकर्ता, समाप्ति तिथि, धारक) के स्टोरेज का विवरण दिया गया है। 1 अगस्त, 2025 से केवल कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क को ही ऐसे डेटा को स्टोर करने की अनुमति दी जाएगी। पहले स्टोर किए गए डेटा को हटा दिया जाना चाहिए।

31 मई, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[17]

आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) दिशानिर्देश, 2024 का ड्राफ्ट जारी किया।[21,22] इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पात्र उत्पादों में लेनदेन के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं। ऐसे उत्पादों में प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा उत्पाद और डेरिवेटिव शामिल हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मंज़ूरी**: संस्थाएं, निवासी या गैर-निवासी मंज़ूरी हासिल करने या आरबीआई के साथ पंजीकरण करने के बाद ईटीपी संचालित कर सकते हैं। अधिकृत/पंजीकृत ऑपरेटरों को अपने प्लेटफॉर्म पर केवल उन्हीं उत्पादों में लेनदेन करना होगा जिन्हें आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। मौजूदा ईटीपी को निर्देश जारी होने के तीन महीने के भीतर मंज़ूरी/पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

- **पात्रता के मानदंड**: मंज़ूरी हासिल करने के लिए किसी इकाई को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इकाई भारत में निगमित कंपनी होनी चाहिए, (ii) इकाई या उसके प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पास वित्तीय व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए, (iii) इकाई की न्यूनतम नेटवर्थ पांच करोड़ रुपए होनी चाहिए, और (iv) रियल टाइम या लगभग रियल-टाइम आधार पर कारोबारी जानकारी प्रसारित करने की क्षमता होनी चाहिए।

- **ऑपरेटिंग ढांचा**: एक ईटीपी ऑपरेटर को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी सदस्यता मानदंड रखना, (ii) सदस्यों को शामिल करते समय ड्यू डेलिजेंस करना, (iii) एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाना, (iv) गलत लेनदेन की संभावना को कम करने के लिए नियंत्रण स्थापित करना, और (v) सदस्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक व्यवस्था तैयार करना।

- **डेटा का संरक्षण**: ईटीपी पर गतिविधियों से संबंधित सभी डेटा को कम से कम 10 वर्षों तक मेनटेन किया जाना चाहिए। आरबीआई या अन्य अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच के लिए मांगे गए डेटा को जांच पूरी होने के बाद तीन साल तक मेनटेन किया जाना चाहिए।

31 मई, 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[22]

आरबीआई ने परिचालन जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट जारी किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन उदारता पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया।[23] साइबर हमलों, भू-राजनीतिक संघर्षों और धोखाधड़ी से परिचालन जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। यह नोट परिचालन जोखिम प्रबंधन पर 2005 के मार्गदर्शन नोट को निरस्त करता है।[24] 2005 का नोट केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता था। 2024 का नोट सभी वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सहकारी बैंकों और सभी भारतीय

वित्तीय संस्थानों (जैसे नाबार्ड, सिडबी) पर लागू होता है। प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **संस्थाओं के दायित्व**: रेगुलेटेड संस्थाओं को परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कुछ दायित्वों को पूरा करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) परिचालन जोखिमों की भौतिकता की पहचान करना और उनका आकलन करना, (ii) परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण स्थापित करना, (iii) जोखिम प्रबंधन और माप प्रणालियों को विकसित और मेनटेन करना, और (iv) जोखिम प्रबंधन ढांचे में कमियों की पहचान करना।
- **इंटरकनेक्शंस की मैपिंग**: संस्थाओं को उन परिचालनों को मैप करना चाहिए जो उनके व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण परिचालन प्रदान करने के लिए आवश्यक आंतरिक और बाहरी इंटरकनेक्शन की मैपिंग की जानी चाहिए। इससे संस्थाएं कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम होंगी, जैसे सेवा प्रदाताओं को बदलने में कठिनाई। इससे रुकावटों में महत्वपूर्ण परिचालन में उनकी क्षमता का भी परीक्षण हो जाएगा।
- **कारोबारी निरंतरता योजना**: किसी इकाई के पास गंभीर व्यावसायिक व्यवधान के दौरान घाटे को सीमित करने के लिए कारोबारी निरंतरता योजनाएं होनी चाहिए। उन्हें कई गंभीर लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों के तहत व्यापार निरंतरता अभ्यास करना चाहिए।

ऊर्जा

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।[25] यह योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन करना है। इस योजना का अनुमानित परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है। इसमें मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम (चरण- II) समाहित हो जाएगा।[25,26] आवासीय उपभोक्ताओं हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस घटक पर 65,700 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। अन्य घटकों में मॉडल सौर गांव, और डिस्कॉम और स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन शामिल हैं। प्रमुख विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **सहायता के लिए पात्रता**: केवल आवासीय बिजली उपभोक्ता ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत घर और हाउसिंग सोसायटी शामिल हैं। परिवारों को तीन किलोवॉट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के लिए सीएफए प्राप्त होगा (तालिका 1)। सिस्टम स्थानीय रूप से निर्मित होना चाहिए और निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए। उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीएफए 10% अधिक होगा। राज्य अपनी ओर से अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं।

तालिका 1: केंद्रीय वित्तीय सहायता (रुपए में)

आवासीय खंड	क्षमता	सीएफए प्रति kW
व्यक्तिगत आवास	2 kW तक	30,000
	1 kW अतिरिक्त	18,000
हाउसिंग सोसायटी	प्रति घर 3kW तक	18,000

स्रोत: पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय; पीआरएस।

- **कार्यान्वयन**: विक्रेताओं और लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। विक्रेताओं को सिस्टम ऑफरिंग्स, प्राइज़ प्वाइंट्स, डिज़ाइन और विशिष्टताओं को अपलोड करना होगा। एक बार जब कोई लाभार्थी विक्रेता चुन लेता है, तो कीमत और अन्य विशिष्टताएं दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाएंगी। मंत्रालय सालाना बेंचमार्क कीमतें प्रकाशित करेगा। एक बार रूफटॉप सोलर सिस्टम्स स्थापित हो जाने के बाद, सीएफए लाभार्थी के खाते में, या ऋण खाते में (वित्तपोषण के मामले में) स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

संचार

Pratinav Damani (pratinav@prsindia.org)

ट्राई ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की साझेदारी पर सुझाव जारी किए

भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग' पर अपने सुझाव जारी किए हैं।[27] टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दूरसंचार अवसंरचना को व्यापक तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: निष्क्रिय और सक्रिय अवसंरचना। निष्क्रिय अवसंरचना का मतलब है, गैर-इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना (जैसे टावर, भवन और खंभे) है, और सक्रिय अवसंरचना का मतलब इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना (जैसे रेडियो और ट्रांसीवर) है। स्पेक्ट्रम दूरसंचार के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक बैंड को कहा जाता है। प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अवसंरचना को साझा करना**: ट्राई ने सुझाव दिया कि दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को सभी प्रकार की निष्क्रिय और सक्रिय अवसंरचना को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निष्क्रिय अवसंरचना को सभी प्रकार के लाइसेंसधारियों के साथ साझा किया जा सकता है; हालांकि सक्रिय अवसंरचना को केवल प्रस्तावित सेवाओं के दायरे के आधार पर साझा किया जा सकता है। वर्तमान में लाइसेंसधारी निष्क्रिय अवसंरचना और कुछ निर्दिष्ट सक्रिय अवसंरचना (जैसे एंटिना और ट्रांसमिशन सिस्टम) को साझा कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग (डॉट) कुछ उपकरणों को कोर नेटवर्क तत्वों के रूप में नामित करता है। अगर साझा करने के बाद दो से कम स्वतंत्र कोर नेटवर्क होंगे तो कोर नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ट्राई ने सुझाव दिया कि अन्य प्रकार की अवसंरचना, जैसे इंटरसेप्शन सिस्टम, को डॉट से अनुमति के बाद साझा किया जा सकता है। उसने यह सुझाव भी दिया कि सरकार द्वारा वित्त पोषित निष्क्रिय अवसंरचना को अनिवार्य रूप से साझा किया जाना चाहिए। इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि) के उपयोग से निर्मित अवसंरचना शामिल है।
- **स्पेक्ट्रम को साझा करना और लीज़ पर देना**: ट्राई ने सुझाव दिया कि एक्सेस प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम साझा करने और लीज़ पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ प्रतिबंधों का भी सुझाव दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्पेक्ट्रम साझा करने या लीज़ पर देने से पहले दो साल की लॉक-इन अवधि, और (ii) उन संस्थाओं की संख्या पर एक सीमा जिनके साथ स्पेक्ट्रम साझा किया जा सकता है या लीज़ पर लिया जा सकता है (प्रति स्पेक्ट्रम बैंड एक अतिरिक्त प्रदाता)। स्पेक्ट्रम साझा करने या लीज़ पर देने से प्राप्त राजस्व को समग्र राजस्व का एक हिस्सा माना जाएगा, यानी जिससे सरकार विभिन्न शुल्क निर्धारित करती है। सरकार साझा स्पेक्ट्रम के मूल्य के 0.5% के बराबर शुल्क भी लगाएगी।

राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट नीति पर परामर्श पत्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी

भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी ने "राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट नीति, 2024 के निर्माण के लिए इनपुट" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।[28] सितंबर 2023 में ट्राई ने एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट नीति तैयार करने के लिए इनपुट मांगा गया था।[29] सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर 2023 में टिप्पणियों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा (रेगुलेशन) बिल, 2023 का ड्राफ्ट भी जारी किया था।[30] ट्राई ने जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार मांगे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में वृद्धि**: ट्राई के अनुसार, लगभग 100 मिलियन घर बिना टेलीविजन के हैं। उसने टीवी सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए रणनीतियों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। परामर्श पत्र में कहा गया है कि इस क्षेत्र में आयातित उपकरणों पर निर्भरता बहुत अधिक है। इसमें असेंबली के लिए आयातित उपकरण और घटक शामिल हैं। इसलिए ट्राई ने अनुसंधान एवं विकास और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इनपुट मांगे हैं।
- **ग्लोबल कंटेंट हब के तौर पर भारत**: पत्र स्थानीय कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों का हवाला

देता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फ्रांस में 40% टेलीविज़न कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर निर्मित करने की शर्त, और (ii) ब्राज़ील के प्राइम टाइम में 210 मिनट का स्थानीय कंटेंट कोटा (स्वतंत्र ब्राज़ीलियाई निर्माताओं द्वारा निर्मित सामग्री)। भारत में निर्मित कंटेंट को बढ़ावा देने के उपायों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

- **नीतिगत और रेगुलेटरी परिवर्तन**: क्षेत्र को विकसित करने और अनुपालन में सहजता सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटरी परिवर्तनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। पत्र अवसंरचना साझाकरण का उदाहरण देता है। ट्राई के अनुसार, चूंकि दोनों क्षेत्र प्रौद्योगिकी में एकजुट हो रहे हैं, इसलिए वे अवसंरचना को साझा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रसार भारती का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में को-लोकेशन के लिए रेडियो ऑपरेटरों के साथ साझा किया जाता है। मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल सुनिश्चित करने पर टिप्पणियां भी आमंत्रित की गई हैं।
- **पायरेसी और कंटेंट की सुरक्षा**: पत्र के अनुसार, पायरेसी से फिल्म उद्योग को सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस प्रकार ट्राई ने पायरेसी से निपटने और कंटेंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले अतिरिक्त उपायों पर टिप्पणियां मांगी हैं। इसका उद्देश्य कंटेंट के अनाधिकृत वितरण का पता लगाना और उसे रोकना है।

ट्राई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पर सुझाव जारी किए

भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पर सुझाव जारी किए हैं। उसने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इस्तेमाल के जरिए नई तकनीक और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा का भी प्रस्ताव दिया है।[31] रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक टेस्टिंग वातावरण को कहा जाता है, जो वास्तविक परिदृश्यों की नकल होता है। कंपनियों को सैंडबॉक्स में कुछ अनुपालनों और रेगुलेशंस से छूट दी गई है। वे उपयोगकर्ताओं के सीमित समूह पर उत्पादों या सेवाओं की टेस्टिंग कर सकते हैं। ट्राई के प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **दायरा और पात्रता**: लाइव या नियंत्रित परीक्षण की आवश्यकता वाली नई डिजिटल संचार सेवाओं या प्रौद्योगिकियों का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में परीक्षण किया जा सकता है। सैंडबॉक्स का उपयोग करने की अनुमति 12 महीने तक वैध होगी और इसे बढ़ाया जा सकता है। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए अपना नेटवर्क प्रदान करने के पात्र होंगे। सैंडबॉक्स का उपयोग करने की इच्छुक संस्थाओं को कुछ शर्तों को भी पूरा करना होगा जैसे: (i) एक भारतीय व्यक्ति या इकाई होना, (ii) सीमित परीक्षण करने का सबूत होना, और (iii) मांगी गई छूट और परीक्षण के दायरे का विवरण प्रदान करना।
- **रेगुलेशन और निरीक्षण**: नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान में बनाई गई एक संस्था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की निगरानी करेगी। सैंडबॉक्स के उपयोग की अनुमति दूरसंचार विभाग द्वारा दी जाएगी। कुछ आधारों पर अनुमति रद्द की जा सकती है, जैसे जाली दस्तावेज़ जमा करना या नियमों का उल्लंघन।
- **परियोजनाओं का वित्त पोषण**: रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। आवेदकों को अपने आवेदन में मांगी गई धनराशि का उल्लेख करना होगा। हालांकि सरकारी वित्त पोषण की मांग न करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना अधिक होगी।

पर्यावरण

Tanvi Vipra (tanvi@prsindia.org)

दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक वर्षा का संकेत

भारतीय मौसम विभाग ने 2024 दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अपना दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया है।[32] दक्षिण पश्चिम मौसमी मानसून जून से सितंबर के दौरान होता है। इसके दीर्घावधि में औसत का 106% रहने की उम्मीद है। देश में लंबी अवधि का औसत 87 सेमी वर्षा है।

तालिका 2: दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 के लिए पूर्वानुमान

श्रेणी (दीर्घावधि औसत के % के रूप में)	पूर्वानुमान
कमी (90% से कम)	2%
सामान्य से कम (90%-96%)	8%
सामान्य (96%-104%)	29%
सामान्य से अधिक (104%-110%)	31%
अतिरिक्त (110% से अधिक)	30%

नोट: यह प्रतिशत पूर्वानुमान की संभावना को इंगित करता है, यानी, "31% संभावना है कि वर्षा दीर्घावधि के औसत के 104% और 110% के बीच होगी"।स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग; पीआरएस।

पूर्वानुमान के स्थानिक वितरण से पता चलता है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है।

[1] Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 For Rural, Urban and Combined for the month of March 2024, Ministry of Statistics and Programme Implementation, April 12, 2024, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/CPI_PR_12apr24.pdf.

[2] "Index Numbers of Wholesale Price in India for the Month of March, 2024 (Base Year: 2011-12)", Press Information Bureau, Ministry of Commerce and Industry, April 15, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2017908.

[3] Monetary Policy Statement, 2024-25, Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) April 3 to 5, 2024, Reserve Bank of India, April 5, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR42MPCRESOLUTIONAPR24211178E4E93843C5806A9949673CCBA4.PDF.

[4] Writ Petition (Civil) No 434 of 2023, Association for Democratic Reforms vs. Election Commissioner of India and Anr, Supreme Court April 26, 2024, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2023/10857/10857_2023_2_1501_52646_Judgement_26-Apr-2024.pdf

[5] Writ Petition (Civil). 273 of 2019, N Chandrababu Naidu and Ors. v. Union of India and Anr, Supreme Court, April 8, 2019, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/7680/7680_2019_Order_08-Apr-2019.pdf

[6] F. No. 23(45)/2022 -Leg-III(LD), Ministry of Law and Justice, April 16, 2024, https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/253725.pdf.

[7] Writ Petition (c) No. 1011 of 2022, Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India, Supreme Court, October 17, 2023, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf.

[8] Special Marriages Act, 1954, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15480/1/special_marriage_act.pdf

[9] Master Direction – Reserve Bank of India (Asset Reconstruction Companies) Directions, 2024, Reserve Bank of India, April 24, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/115MD2404242C46DA28A8444FAE9BD210D08DC3D1C1.PDF.

[10] The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2006/1/A2002-54.pdf.

[11] Voluntary Transition of Small Finance Banks to Universal Banks, Reserve Bank of India, April 26, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/CIRCULARVOLUNTARYTRANSITIONFROMSFBTOUBDC5035CA4F8C4761AF5A5069859F4340.PDF.

[12] Small Finance Banks: Balancing Financial Inclusion and Viability, RBI Bulletin, Reserve Bank of India, January 21, 2021, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20021.

[13] SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, April 30, 2024, https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/apr-2024/sebi-board-meeting_83115.html.

[14] Consultation Paper on permitting increased participation of Non – Resident Indians (NRIs) and Overseas Citizens of India (OCIs) into SEBI registered Foreign Portfolio Investors (FPIs) based out of International Financial Services Centres (IFSCs) in India and regulated by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA), Securities and Exchange Board of India, August 25, 2023, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/aug-2023/consultation-paper-on-permitting-increased-participation-of-non-resident-indians-nris-and-overseas-citizens-of-india-ocis-into-sebi-registered-foreign-portfolio-investors-fpis-based-out-of-int-_75915.html.

[15] Draft Guidelines on 'Digital Lending – Transparency in Aggregation of Loan Products from Multiple Lenders', Reserve Bank of India, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DRAFTGUIDELINESEFAE1F9E224348ECA734CB893A6A9A52.PDF.

[16] RBI invites comments on the Draft Circular on "Digital Lending – Transparency in Aggregation of Loan Products from Multiple Lenders", Reserve Bank of India, April 26, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR194DRAFTCIRCULARONDIGITALLENDING065E3A8AF53F40C38AD8D21CE004767D.PDF.

[17] Regulation of Payment Aggregators (PAs) – Draft Directions, Press Release: 2024-25/116, RBI, April 16, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR116PASDRAFT%20DIRECTIONS57D123C3C6CD4EDD97B4318DD39AD865.PDF.

[18] Guidelines on Regulation of Payment Aggregators and Payment Gateways, RBI, March 17, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT17460E0944781414C47951B6D79AE4B211C.PDF.

[19] Regulation of Payment Aggregators – physical Point of Sale – DRAFT, RBI, April 16, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DC1RPAP1604202412698E92604843119F606CCDBE6EF31C.PDF.

[20] Regulation of Payment Aggregators (PAs) – DRAFT, RBI, April 16, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DC2RPAP160420247DBE432D82074038BBA0AD723EDC5CA4.PDF.

[21] Master Direction – Reserve Bank of India (Electronic Trading Platforms) Directions, 2024 – Draft, Reserve Bank of India, April 29, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/ETPDIRECTIONDRAFT64281F3CDA204300BEE5753006DCC011.PDF.

[22] RBI releases Draft Master Direction – Reserve Bank of India (Electronic Trading Platforms) Directions, 2024, Reserve Bank of India, April 29, 2024, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=57809.

[23] Guidance Note on Operational Risk Management and Operational Resilience, Reserve Bank of India, April 30, 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/GUIDANCENOTEONORMANDORBFDF5D6F62CE430D82E672634B8C4F02.PDF.

[24] Guidance Note on Management of Operational Risk, Reserve Bank of India, October 14, 2005, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/66812.pdf.

[25] Draft Guidelines for implementation of PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana Central Financial Assistance Component, Ministry of New and Renewable Energy, April 16, 2024, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/04/202404162127034309.pdf.

[26] 'Grid Connected Rooftop Solar Programme', Ministry of New and Renewable Energy, as accessed on April 22, 2024, https://mnre.gov.in/grid-connected-solar-rooftop-programme/.

[27] Recommendations on Telecommunication Infrastructure Sharing, Spectrum Sharing and Spectrum Leasing, TRAI, April 24, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_24042024_0.pdf.

[28] Consultation Paper on Inputs for formulation of National Broadcasting Policy-2024, Telecom Regulatory Authority of India, April 2, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_02042024_0.pdf.

[29] Pre-Consultation Paper on Inputs for Formulation of "National Broadcasting Policy", Telecom Regulatory Authority of India, September 21, 2023, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_21092023.pdf.

[30] Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023, Ministry of Information and Broadcasting, November 10, 2023, https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20Notice_07.12.2023.pdf.

[31] Encouraging Innovative Technologies, Services, Use Cases and Business Models through Regulatory Sandbox in Digital Communication Sector, TRAI, April 12, 2024, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_12042024.pdf.

[32] "Long Range Forecast for the 2024 Southwest Monsoon Season Rainfall", India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, April 15, 2024, https://internal.imd.gov.in/press_release/20240415_pr_2952.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।